International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(II), January - March, 2023, pp. 49-52

एक विचार कैशलेस भारत

डॉ. हितेष कुमार तिवाडी*

सार

नीति आयोग ने कहा है कि आने वाले वर्षों मे डेबिट क्रेडिट कार्ड और पेटीएम आदि का झन्झट खत्म हो जायेगा और ऑनलाईन पेमेन्ट रिसिप्ट में उल्लेखनिय वृद्धि देखने को मिलेगी। विदित हो कि विमुद्रीकरण के बाद से ही कैशलेस यानी की नगदी रहित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए सरकार प्रतिबंध नजर आ रही है दरअसल यह आवश्यक भी है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नगदी संचालन है जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों का सालाना खर्च बहुत अधिक आता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह ना के बराबर हो तथा सभी लेनदेन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे तो यह स्थिति कैशलेस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित की जाती है। कैशलेस समाज का एक मुख्य लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए किए गए आर्थिक लेनदेन ब्लैक मनी के बाजार को खत्म कर सकता है, टैक्स चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय रूप से कमी कर सकता है, जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि कर सकता है। भारत के संदर्भ में अगर कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात करें तो अधिकांश जनसंख्या बेकिंग नेट के बाहर है जिसे कैशलेस अर्थव्यवस्था से जोडना भारत देश के लिए कए चुनौती है जहां की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है जहां पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही वहां पर पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करना वास्तविकता के धरातल पर प्रतीत नहीं होता उसके लिए सबसे पहल बिजली पानी भोजन व आवास की व्यवस्था को सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना होगा उसके उपरांत ही कैशलेस भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। वर्ष 2015–16 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार बचत कार्यों के संबंध में पूरे देश में बैंकिंग गतिविधियां मात्र 46 प्रतिशत लोग ही करते हैं जन धन योजना लागू होने के पश्चात बडी संख्या में बैंक अकाउंट तो खोले गए लेकिन अधिकांश खातों में कोई लेन–देन नहीं हो रहा है कैशलेस अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु यह आवश्यक है कि इन खातों को क्रियाशील बनाया जाए अर्थात् इनमें लेन–देन भी हा और यह तभी संभव है जब नागरिकों को साक्षर किया जाए, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा उन्हें कैशलेस अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक बनाया जाए। यदि जनसंख्या का एक बडा हिस्सा बैंकिंग नेट के दायरे में आ भी जाए तो कैशलेस होने की मुहिम को सफल बनाने के लिए हमें कठिन प्रयास करने हों क्योंकि देश की एक बडी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने को अभिशप्त है साथ ही साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी इसके साथ जुडा हुआ है आज देशों के बीच साइबर युद्ध चल रहा है और भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है ऐसे में यदि भारत के संपूर्ण अर्थव्यस्था कैशलेस हो जाती है तो हमें अपनी साइबर सुरक्षा को भी मजबूत बनाना होगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की मुहिम जरूर है लेकिन असंभव नहीं है इसके लिए हमें कारगर उपाय करने होंगे तोकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गतिमान और वृद्धि शाली बनाया जा सके।

शब्दकोशः *कैशलेस भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक।*

---

* सहायक आचार्य, एस.एस.जी. पारीक स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

प्रस्तावना

मानव अधिकार आयोग के समानांतर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों तथा हमारी संस्कृति के आदर्श ''वसुधेव कुटुम्बकम्'' को सिद्धांत से व्यवहार में लाने के लिए, अस्पृश्यता समाप्त करने एवं दलितों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कई कानूनी प्रयास किए है, संविधान के अनुच्छेद 17 में अपराध अधिनियम 1955 के रूप में पुर्ननिर्मित किया गया है। दलित वर्ग के प्रति अपराध को रोकने तथा निवारण के लिए 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू किया गया है, साथ ही बालराम अधिनियम 1986 बालक अधिनियम 1960, राष्ट्रीय आयोग महिला अधिनियम 1990 अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 जैसे कई विधि कानून पारित किये गये है।

मनवाधिकार का अर्थ

''सभी व्यक्तियों को समानता से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके और सभ्य समाज में मानवीय मूल्यों की उत्तरोत्तर प्राप्ति हो सकें।''

''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिसे बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म–विकास की आशा नहीं कर सकता।''

(हैराल्ड लास्की)

''अधिकार वह माँग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।''

(बोसांके)

कुछ विशेष कार्यों के करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण माँग की अधिकार कहा जाता है।''

(वाइल्ड)

मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते है। ये नगरपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है इसलिए ये हर जगह और हर समय लागू होते है। मानवाधिकार मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। नगर निगम के साथ–साथ अंर्तराष्ट्रीय कानून में कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित इन अधिकारों को अनौपचारिक मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है जिसका एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए हकदार है क्योंकि वह एक इंसान है। आज मानव अधिकार इतने व्यापक हो गये है कि हर व्यक्ति इनके प्रति जागरूक है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है। समाज का विकास जैसे–जैसे आगे बढता जाता है, समाज के विकास के साथ–साथ मानवाधिकार के घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। मानवाधिकार हनन की घटनाऐं समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रशासन के प्रत्येक अंग द्वारा की जा रही है। लेकिन हनन की सर्वाधिक शिकायतें आयोग के पास पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लघंन को पहुँचाती है।

मानवाधिकारों के सुरक्षा के संबंध में सन् 1945 के द्वितीय विश्वयुद्ध तथा अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बम से हुई हजारों हत्याओं के बाद विश्व के देशों में एक नई सोच सामने आयी तथा 10 दिसम्बर 1948 को ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'' की स्थापना हुई इसी दिन मानवाधिकार आयोग की सार्वभौम घोषणा जारी की गई और इसे पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को दी गई सार्वभौमिक घोषणा–पत्र (चार्टर) में 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्राओं के विषय को प्रतिवर्ष ''मानवाधिकार दिवस'' कि रूप में मनाया जाता है।

छात्रों एवं शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर योग्य नागरिक बनने में सहायता की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के लिये आवश्यक तत्व है और इसमें मानवाधिकारों की जागरूकता के भाव को व्यापक रूप से संचरित कर श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण और सामाजिक बुराईयों से छुटकारा पाया जा सकता है। वैश्विक घटनाक्रमों को ध्यान से देखें तो हम पाते है कि आरंम्भ से लेकर आज तक मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। जिसमें लडे गये विश्वयुद्धों से लेकर वर्तमान की अलगाववादी, अराजकतावादी संस्कृति में परिलक्षित है।

मूलभूत मानव अधिकार

हमारे यहाँ कुछ बुनियादी मानवाधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। जिनकी प्राप्ति देश के हर व्यक्ति होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ मूलभूत मानव अधिकारों के विषय निम्न है :–

- जीवन जीने का अधिकारी।
- जिंदगी जीने, आजादी और निजी सुरक्षा का अधिकार।
- समानता का अधिकार।
- सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा बचाव का अधिकार।
- कानून के सामने व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार।
- भेदभाव से स्वतंत्रता।
- छासता से स्वतंत्रता।
- अत्याचार से स्वतंत्रता।
- मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वतंत्रता।
- अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार।
- उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार।
- आंदोलन की स्वतंत्रता।
- गोपनीयता, परिवार, गृह और पत्राचार में हस्तक्षेप से स्वतंत्रता।
- अन्य देशों में शरण का अधिकार।
- राष्ट्रीयता को बदलने की स्वतंत्रता का अधिकार।
- विवाह और परिवार के अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- खुद की संपत्ति रखने का अधिकार।
- शांतिपूर्ण सभा और एसोसिएशन बनाने का अधिकार।
- स्रकार में और निःशुल्क चुनावों में भाग लेने का अधिकार।
- विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता।
- सही तरीके से रहने/जीने का अधिकार।
- समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार।
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।
- वांछनीय कार्य और ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकारं
- अवकाश और विश्राम का अधिकार।
- ऊपर दिए अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता।

भारत में मानवाधिकारों की स्थिति

देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा पूर्व में औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है।

भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी निहित है। इन्हीं स्वतंत्रताओं का फायदा उठाते हुए आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते है। इससे किसी एक धर्म के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है बल्कि उन सभी लोगों के मानवाधिकार आहत होते है जो इस घटना के शिकार होते है तथा जिनका घटना से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे – मासूम बच्चे, गरीब पुरूष–महिलाएँ, वृद्धजन इत्यादि।

दूसरी तरफ, भारत के कुछ राज्यों से अफस्पा कानून इसलिये हटा दिये गय क्योंकि इस कानून के जरिये सैन्य–बलों को दिए गए विशेष अधिकारों का दुरूपयोग होने की वारदातें सामने आने लगी। उदाहरण के तौर पर बिना वारंट किसी के घ की तलाशी लेना। किसी असंदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करना यदि कोई व्यक्ति कानून तोडता है, अशांति फेलाता है, तो उसे प्रताडित करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना इत्यादि खबरे अक्सर अखबारों में रहती थी।

लिहाजा यहाँ सवाल उठता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में मानवाधिकार पल–पल किसी न किसी तरह की प्रताडना का देश झेल रहा है।

निष्कर्ष

मानव अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार है। हर व्यक्ति को मूल मानवाधिकारों का आनंद लेने का हक है कभी–कभी इन अधिकारों में से कुछ का सरकार द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। सार्वभौमिक होने के लिए इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन मूल अधिकारों से एक व्यक्ति को वंचित करना अमानवीय है। यही कारण है कि इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई संगठन स्थापित किए गए है। प्रत्येक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग, लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज कर इन अधिकारों को प्रदान करता है। हालांकि कभी–कभी इनका व्यक्तियों, समूहों या स्वयं राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है। इसलिए लोगों को मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज उठाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय रामशक्ल एवं मिश्र करूणा शंकर – ''मानवाधिकार और सूक्ष्म शिक्षण''
2. पाण्डय जे.एन. – ''भारत का संविधान''
3. पाठक अरूण कुमार – ''मानवाधिकार''
4. भास्कराचार्य, डॉ0 बाय (2003) ''शिक्षा के अधिकार एवं मानवाधिकार शिक्षा'' एब्युट्रेक, वाल्युम अ. 1. सितम्बर पृष्ठ क्रमांक 29–31।
5. ए. सुहाशिनी (2003), ''मानवाधिकार एवम् कर्त्तव्य शिक्षा'' एब्युट्रेक वाल्यूम 3 नं. 3 नवम्बर पृष्ठ क्रमांक 31–33।
6. कमल नारायण राजपाल, रंजन कुमार चौवे (2020) ''मानवाधिकार के प्रति जागरूकता'' वाल्युम 8 नं. 4 पृष्ठ क्रमांक 242–250।
7. दीपक कुमार गुप्ता (2020) ''स्ना0 स्तर पर विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता'' बुन्देलखण्ड वि0वि0, झाँसी।
8. अजीत कुमार यादव (2018) ''मानवाधिकार जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' वाल्युम 3 नं. 2 पृष्ठ क्रमांक 654–657।

❖◆❖